कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन–1, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष 0755–2674248, 2674318 फैक्स 0755–2766315 **E-mail—pccfwl@mp.gov.in**

क्रमांक/STSF/क्राइम/2022/ 570 भोपाल, दिनांक 05/05/2022

प्रति,

समस्त प्रभारी अधिकारी
क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स
मध्यप्रदेश

विषयः– **सक्षम स्तर के वनाधिकारी द्वारा वन अपराध प्रकरणों में परिवाद प्रस्तुत करने बावत्।**

संदर्भः– **इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/एसटीएसएफ/258 दिनांक 14.03.2018**

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की अधीनस्थ क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा संगठित वन्यप्राणी अपराध से संबंधित प्रकरण दर्ज किये जाते है। यदाकदा प्रकरण में आई साक्ष्य एवं अपराध कारित की विषयवस्तु के आधार पर अन्य वनअधिनियमों के उल्लंघन की विभिन्न धाराओं को भी अतिरिक्त रूप से अधिरोपित कर प्रकरण की विवेचना की जाती है। विभिन्न वनअधिनियमों में अलग–अलग स्तर के अधिकारी को परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वन–अधिनियम	परिवाद संबंधी धारा	अधिकृत/सक्षम स्तर वनाधिकारी (अनिम्न)	अधिसूचना/नियम
01	भारतीय वनअधिनियम 1927	76	परिक्षेत्र सहायक	624–625–341–XV दि.12-06-1928 एवं 78–XV दि. 12-08-1929
02	म.प्र. तेन्दुपत्ता (व्यापार विनियमन) 1964	17	सहायक वन संरक्षक	249/X/65 दि. 12.01.1965 तथा 8772/X/69 दि. 20.12.1969
03	म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) 1969	18	सहायक वन संरक्षक	4247/ब/दस/69 दि. 01.08.1969
04	वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972	55	वनपरिक्षेत्र अधिकारी	वन्यजीव (संरक्षण) म.प्र. नियम 1974 का नियम 55
05	म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) 1984	16	उपवनमण्डलाधिकारी/ सहायक वन संरक्षक	18–3–85–X–III दि. 04.10.1985
06	जैव विविधता अधिनियम 2002	61	रेंज ऑफिसर	2708(अ) दि. 17.11.2008 भारत का राजपत्र

विगत माह समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि सक्षम स्तर के वनाधिकारियों के द्वारा परिवाद प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया/जा रहा है। मुख्यतः ऐसे प्रकरणों में जिसमें एक या एक से अधिक अधिनियमों की धाराओं को अधिरोपित कर प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण कमजोर होकर शासनहित में निराकरण किया जाना संभव नहीं होगा।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के तारतम्य में ध्यान रखे कि ऐसी किसी परिस्थिति में विभिन्न अधिरोपित वनअधिनियमों में उल्लेखित/अधिकृत विभिन्न स्तर के वनाअधिकारी में से सबसे वरिष्ठतम स्तर के वनाधिकारी के द्वारा ही प्रकरण का परिवाद माननीय न्यायालय में पेश किया जावें, ताकि बचाव पक्ष को इसका फायदा न मिले सके व शासनहित मे प्रकरण का निपटारा समय–सीमा में होना सुनिश्चित हो सकें।

इन निर्देशों का कढाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

05/5/22

(शुभरंजन सेन)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

d:\stsf-2022\letter-2022.docx

पृ.क्रमांक / STSF / क्राइम / 2022 / 571 भोपाल, दिनांक 05/05/2022

प्रतिलिपि :–

1. प्रबंध संचालक वन विकास निगम, पंचानन भवन भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) / समस्त क्षेत्र संचालक टाइगर रिजर्व म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त वनमण्लाधिकारी (क्षेत्रीय / वन्यप्राणी) म.प्र. की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि अपने अधीनस्थों को इस संबंध में निर्देशित करने का कष्ट करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

d:\stsf-2022\letter-2022.docx